मेहनतकशों का पैग़ाम | मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 66400/97

पुलिस संरक्षण में चलते अय्याशी के अड्डे 3
पानी में डूबे शहर का जायजा लेने निकले अफसर 4
खोरी में फरीदाबाद पुलिस की फर्जी सेवा 5
अस्थाना जनहित में नहीं, मोदी-शाह हित में आया 6
यह हूडा की प्रॉपर्टी है, गलती से खरीद मत लेना 8

वर्ष 34 | अंक 38 | फरीदाबाद | 1-7 अगस्त 2021 | फोन-8851091460 | 3.00 ₹

खोरी में हरियाणा टूरिज्म की 6 एकड़ जमीन पर कब्जा, सुप्रीम कोर्ट से बात छिपाई गई

अफसरों ने गार्ड के जरिए बेच दी जमीन, कई अवैध काम चल रहे हैं यहां, स्टे की वजह से एमसीएफ ने तोड़फोड़ नहीं की

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: खोरी की जिस बस्ती को उजाड़ा गया, उसके बीच में हरियाणा टूरिज्म की 6 एकड़ जमीन पड़ी हुई है। जिन पर अवैध कब्जे हैं। कब्जा करने वालों ने अदालत से स्टे ले रखा है। नगर निगम फरीदाबाद ने अभी जब खोरी में तोड़फोड़ अभियान चलाया तो स्टे की वजह से इस जमीन पर किए गए अवैध निर्माणों को नहीं गिराया। हरियाणा टूरिज्म या हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस जमीन की वैधानिक स्थिति की जानकारी नहीं दी, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट उसी आदेश में इस कब्जे को भी खाली कराने का निर्देश दे देता। दरअसल, यह मामला भी एक स्कैंडल से कम नहीं है कि हरियाणा टूरिज्म जो हरियाणा सरकार का एक विभाग है, उसके इतने बड़े भूखंड पर खोरी में कब्जा हो गया और सरकार, हरियाणा टूरिज्म के अफसर, एमसीएफ चुप रहे।

किनके कब्जे हैं जमीन पर

खोरी में ज्यादातर फैक्ट्रियों में काम करने वाला, अपना हुनरमंद काम करने वाला वर्ग रहता था। जिनमें से अधिकांश यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल से आए प्रवासी मजदूर थे। लेकिन कुछ व्यापारियों ने अपने अवैध गोदाम भी खोरी में बना रखे थे। हरियाणा टूरिज्म के 6 एकड़ प्लॉट पर भी ऐसे ही लोगों का कब्जा है। इस जमीन पर बिल्डिंग मैटीरियल सप्लाई करने वाला, पानी का आरओ प्लांट चलाने वाला और स्टॉक यार्ड बनाने वालों का कब्जा है। खोरी में एक भाजपा विधायक के भाई का भी अवैध कब्जा है।

विधायक का भाई एनआईटी 5 नंबर में पहले से ही अवैध निर्माण कराने के लिए चर्चित है। इसी तरह आरओ प्लांट चलाने वाला दबंग समुदाय का शख्स है।

सूत्रों का कहना है कि हरियाणा टूरिज्म ने यहां चांदवीर नामक गार्ड को देखरेख के लिए तैनात किया था लेकिन चांदवीर ने हरियाणा टूरिज्म की जमीन ही बेच डाली।

किसने छिपाया यह सब

हरियाणा टूरिज्म का गार्ड चांदवीर तो इस स्कैंडल का एक मोहरा भर है। हरियाणा टूरिज्म की जमीन पर अवैध कब्जा कराने में इसी विभाग के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। लेकिन दस्तावेजों में इनका नाम नहीं है, ये छिपे हुए चेहरे हैं। इसीलिए एक योजना के तहत सुप्रीम कोर्ट से यह बात छिपाई गई कि यहां हरियाणा टूरिज्म की 6 एकड़ जमीन पर भी अवैध कब्जा है। अदालत को इस प्रॉपर्टी पर स्टे की सूचना भी नहीं दी गई। आखिर इसकी जवाबदेही किस पर तय की जाएगी।

सूरजकुंड पर्यटन स्थल पर तैनात डिविजनल मैनेजर राजेश जून से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हरियाणा टूरिज्म की 6 एकड़ जमीन खोरी के बीच में है और उस पर अवैध कब्जे हैं। मजदूर मोर्चा ने जब राजेश जून से सवाल किया कि आखिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में क्यों नहीं लाया गया तो राजेश जून ने सवाल को हल्के ढंग से लेते हुए कहा - अरे भाई, अब तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो कब्जा भी हटा दिया जाएगा। 7 जून के आदेश में खोरी का अतिक्रमण हटाने की बात कही गई है। यह प्लॉट खोरी के बीच में है। अब किसी अदालत का स्टे काम नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट के आगे।

मजदूर मोर्चा संवाददाता ने जब उन्हें बताया कि एमसीएफ ने उस जगह पर कोई तोड़फोड़ नहीं की है और उस प्लॉट के अवैध कब्जों को स्टे की वजह से छोड़ दिया गया है। क्योंकि मौके पर एमसीएफ अफसरों को बताया गया कि इस जमीन

शेष पेज 2 पर

क्या बड़े नाम वाले ये फार्म हाउस गिरेंगे ?

1.	रिवाज फार्म हाउस	6 एकड़ मालिक करतार भड़ाना
2.	गोल्डन सर्ब्स फार्म हाउस	1500 वर्गगज
3.	राजस्थानी फार्म हाउस	3 एकड़
4.	बिन्दे फार्म हाउस	2.5 एकड़ मालिक विवेक भड़ाना
5.	महिपाल फार्म हाउस (कुल 3 फार्म हाउस)	8 एकड़ मालिक महिपाल
6.	प्रमोद गुप्ता फार्म हाउस	2.5 एकड़ मालिक प्रमोद गुप्ता
7.	रॉयल गार्डेन फार्म हाउस	4 एकड़
8.	एक्सपोरमा ग्रीन हाउस फार्म हाउस	3 एकड़
9.	डावर फार्म हाउस	5 एकड़
10.	करतार फार्म हाउस	2 एकड़ मालिक मनमोहन भड़ाना
11.	अमृत ग्रीन फार्म हाउस	3 एकड़
12.	लोट्स गार्डन फार्म हाउस	3 एकड़
13.	विकी फार्म	1.5 एकड़ मालिक विकी
14.	इंतेजार गार्डन	3 एकड़
15.	ड्रीम जेड फार्म हाउस	15400 वर्गमीटर मालिक कृष भड़ाना
16.	आनंद वन फार्म हाउस (कुल 3 फार्म हाउस)	7 एकड़
17.	सुतार फार्म	3 एकड़
18.	विनोद फार्म हाउस पुत्र ऋषिपाल	2 एकड़
19.	वीरेन्द्र फार्म हाउस	3 एकड़ मालिक वीरेन्द्र बिधूड़ी
20.	आर्चिड वैली फार्म हाउस	3 एकड़ मालिक सत्ते महाशय
21.	किंग वैली फार्म हाउस	5 एकड़ मालिक रिंकू
22.	आइकन फार्म हाउस	2 एकड़ मालिक कपिल
23.	देवेन्द्र भड़ाना फार्म हाउस	1.5 एकड़ मालिक देवेन्द्र भड़ाना
24.	आशु भड़ाना फार्म हाउस	1 एकड़ मालिक आशु भड़ाना
25.	सांगवान फार्म हाउस	14 एकड़ मालिक जयदीप सांगवान
26.	देवेन्द्र फार्म हाउस	2 एकड़ मालिक देवेंद्र
27.	कालूराम फार्म हाउस	2.5 एकड़ मालिक कालूराम
28.	नरेश कुमार फार्म हाउस	1 एकड़ मालिक नरेश कुमार
29.	सत्ते फार्म हाउस	1 एकड़ मालिक सत्ते
30.	सुरेन्द्र फार्म हाउस	1.5 एकड़ मालिक सुरेंद्र
31.	जीतराम फार्म हाउस	3.5 एकड़ मालिक जीतराम
32.	ऋषिपाल फार्म हाउस	2 एकड़ मालिक ऋषिपाल
33.	मुकेश फार्म हाउस	1 एकड़ मालिक मुकेश
34.	जीतू फार्म हाउस	1 एकड़ मालिक जीतू
35	टीटू फार्म हाउस	1 एकड़ मालिक टीटू
36.	प्रशांत फार्म हाउस	6 एकड़ मालिक प्रशांत
37.	हेमचंद फार्म हाउस	1 एकड़ मालिक हेमचंद
38.	बिल्लू फार्म हाउस	1 एकड़ मालिक बिल्लू
39.	सुनील फार्म सूरजकुंड वाटिका	2 एकड़ मालिक सुनील
40.	सूरजकुंड वाटिका 29	80×25 मीटर मालिक विजय
41.	सूरजकुंड वाटिका 30	85×40 मीटर मालिक बालकिशन
42.	बलराज फार्म सूरजकुंड वाटिका	80×30 मालिक बलराज
43.	अश्विनी नागर फार्म हाउस	मालिक अश्विनी नागर
44.	सूरजकुंड वाटिका 61	100×40 मीटर मालिक देवेंद्र भड़ाना
45.	मनीष शर्मा फार्म सूरजकुंड वाटिका	50×40 मीटर मालिक मनीष शर्मा
46.	देवन फार्म हाउस	2 एकड मालिक देवन
47.	धर्मेन्द्र खटाना फार्म हाउस सूरजकुंड वाटिका	1 एकड़ मालिक धर्मेन्द्र खटाना
48.	गुलाब सिंह होम सूरजकुंड वाटिका	20×40 मालिक गुलाब सिंह
49.	जीवन बोहरा होम सूरजकुंड वाटिका	20×40 मालिक जीवन बोहरा

विशेष उल्लेख : *सूरजकुंड वाटिका के नाम पर अरावली में 23 ऐसे फार्म भी हैं, जिनके मालिक या उनके मालिकाना हक स्पष्ट नहीं हैं। इसलिए सूची में सिर्फ सूरजकुंड वाटिका नंबर दिए गए हैं। ये नंबर हैं - 19, 20, 21, 23, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 इसी तरह ऊपर की सूची में कुछ फार्म हाउसों के नाम के साथ सूरजकुंड वाटिका भी लिखा गया है। सरकारी दस्तावेजों में ये नाम इसी तरह दर्ज हैं। इस सूची में वे बैंक्वेट हॉल शामिल नहीं हैं जो मूल रूप से फार्म हाउस थे, जिन्हें बैंक्वेट हॉल, क्रिकेट अकादमी में बदल दिया गया। इसमें उज्जवल फार्म जैसे नाम नहीं हैं, जिन्हें राजनीतिक संरक्षण में कोरोना काल में विकसित किया गया और अब उसे बैंक्वेट हॉल में बदला जा रहा है। ये सभी पीएलपीए जमीन यानी वन विभाग या फिर गैर मुमकिन पहाड़ की जमीनें हैं, जिन पर न निर्माण हो सकता है और न बेचा-खरीदा जा सकता है।*

अरावली में किन्हें गिराना है, किन्हें बचाना है... सूची तैयार

फार्म हाउसों, शिक्षण संस्थानों और अवैध मंदिरों, आश्रमों को बचाने के लिए उच्चस्तर पर मंत्रणा

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद : सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को अपने आदेश में कहा था कि अरावली में पीएलपीए (पंजाब भूमि संरक्षण कानून 1900) जमीन पर बने सभी अवैध निर्माणों को हटाया जाए। इसके बाद बुधवार 28 जुलाई को जिला प्रशासन, वन विभाग और नगर निगम फरीदाबाद के अफसरों ने कहा कि वे अरावली में पीएलपीए जमीन से सभी कब्जों को हटा देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि पर्दे के पीछे तमाम फार्म हाउसों, शिक्षण संस्थानों, मंदिरों, आश्रमों को बचाने की कवायद उतनी ही शिद्दत से जारी है। पहली बार हरियाणा सरकार को पसीने आ गए हैं कि अगर वे खोरी को गिराया जाना रोक लेते तो आज रसूखदारों के फार्म हाउसों और शिक्षण संस्थानों को गिराने की नौबत नहीं आती।

किसकी जिम्मेदारी है

सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को जब खोरी का अतिक्रमण हटाने का फैसला सुनाया था तो उस समय उसने फार्म हाउसों, अवैध मंदिरों-आश्रमों, शिक्षण संस्थानों के बारे में कुछ नहीं कहा था। इसके बाद खोरी आवास संघर्ष समिति का केस लड़ रहे कॉलिन गोंजाल्विस ने अर्जी लगाकर अदालत को बताया कि गरीबों को उजाड़ने के दौरान अरावली में अन्य अवैध निर्माणों को क्यों छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े वकीलों ने भी अलग से पत्र लिखकर अदालत से खोरी पर पुनर्विचार करने और बड़े लोगों के अवैध निर्माणों का मुद्दा उठाया था।

डीसी यशपाल यादव, नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल और क्षेत्रीय वन संरक्षक राजकुमार ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम 4 दिन का समय दे रहे हैं। सभी फार्म हाउस मालिक, वहां बने अवैध शिक्षण संस्थान और अन्य निर्माणों के मालिक अपने अवैध कब्जे हटा लें, अन्यथा गिरा दिया जाएगा। लेकिन बाद में डीसी और निगम कमिश्नर ने कहा कि इस मामले में पहल वन विभाग को करनी है, हम उन्हें पूरा सहयोग करेंगे। निगम कमिश्नर गरिमा ने कहा कि एमसीएफ की इसमें कोई भूमिका नहीं है लेकिन अगर वन विभाग और डीएम (डीसी) इस मामले में एमसीएफ से मदद मांगते हैं तो हम अपनी क्षमता के अनुसार

शेष पेज 2 पर